

उत्तर प्रदेश शासन  
नगर विकास अनुभाग-4  
संख्या: 2698/नौ-4-17-73डब्ल्यू/16  
लखनऊ दिनांक: 28 अगस्त, 2017  
कार्यालय झाप

रिट याचिका संख्या-21966(एम/बी)/2016 मुस्कान सावलानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-25.05.17 के अनुपालन में तात्कालिक प्रभाव से कालम-2 में उल्लिखित अधिशासी अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में उल्लिखित निकाय में अधिशासी अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

क्र	अधिशासी अधिकारी का नाम	पूर्व तैनाती	वर्तमान तैनाती
1	2	3	4
1	श्री इन्द्र पाल सिंह	नगर पालिका परिषद, बिजनौर	नगर पालिका परिषद, नगीना (बिजनौर)
2	श्री सन्तराम	नगर पालिका परिषद, एटा	नगर पालिका परिषद, सोरो (कासगंज)
3	श्री संजय कुमार गौतम	नगर पालिका परिषद, रायबरेली	नगर पालिका परिषद, कन्नौज
4	श्री मुशीर अहमद	नगर निगम, इलाहाबाद	नगर पालिका परिषद, रायबरेली
5	श्री दिनेश कुमार विश्वकर्मा	नगर पालिका परिषद, आजमगढ़	नगर पालिका परिषद, रुदौली फैजाबाद
6	श्री संतोष कुमार मिश्र	नगर पालिका परिषद, बलियों	नगर पालिका परिषद, बोंदा
7	सुश्री पूजा	नगर निगम, अयोध्या	नगर निगम, कानपुर में अनुभाग अधिकारी के पद पर
8	श्रीमती सरिता सिंह	नगर निगम, गाजियाबाद	नगर पालिका परिषद, खतौली (मुजफ्फरनगर)
9	श्रीमती रश्मि त्रिपाठी	नगर निगम, गाजियाबाद	नगर पालिका परिषद, कांथला (शामली)
10	श्री उमेश चन्द्र	नगर निगम, लखनऊ	नगर पालिका परिषद, कोसीकला (मथुरा)
11	श्री हेमराज	नगर निगम, अलीगढ़	नगर पालिका परिषद, मवाना (मेरठ)
12	श्री मुनेन्द्र सिंह राठौर	नगर निगम, लखनऊ	नगर निगम, कानपुर में अनुभाग अधिकारी के पद पर
13	श्री वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	नगर पालिका परिषद, बोंदा	नगर पालिका परिषद, खुर्जा (बुलन्दशहर)
14	श्री श्यामेन्द्र मोहन चौधरी	नगर पालिका परिषद, रुदौली (फैजाबाद)	नगर पालिका परिषद, अलीगंज (एटा)

2. उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे। स्थानान्तरित अधिकारी को उनके वर्तमान पद के कार्यभार से बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये इस आदेश के प्राप्त होते ही तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय तथा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित कर दिया जाए। कार्यभार से अवमुक्त करने तथा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण की सूचना शासन/निदेशक, नगर निकाय निदेशालय को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे। आदेशों की अवहेलना अनुशासनहीनता मानी जायेगी, जिसके लिए संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


3. स्थानान्तरित अधिकारी जबतक अपने नये पद/स्थान पर कार्यभार न ग्रहण कर ले तब तक उसे किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत न किया जाय, और न ही स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई प्रत्यावेदन अग्रसारित किया जाए।

मनोज कुमार सिंह  
प्रमुख सचिव।

संख्या-26 78 (1)/नौ-4-17-73डब्ल्यू/16 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, नगर निकाय, निदेशालय, उOप्रO लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, बिजनौर, एटा, कासगंज, रायबरेली, कन्नौज, आजमगढ़, फैजाबाद, बलिया, बौदा मुजफ्फरनगर, शामली, हाथरस, मथुरा, मेरठ एवं बुलन्दशहर।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, इलाहाबाद, अयोध्या, कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ एवं अलीगढ़।
4. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, बिजनौर, नगीना, एटा, सोरो (कासगंज), रायबरेली, कन्नौज आजमगढ़, खुदौली (फैजाबाद), बलिया, बौदा, खतौली (मुजफ्फरनगर), कांथला (शामली) सिकन्दाराऊ (हाथरस) कोसीकला (मथुरा), मवाना (मेरठ), खुर्जा (बुलन्दशहर) एवं अलीगं (एटा)।
5. सम्बन्धित अधिशासी अधिकारीगण।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(उमेश प्रकाश सिंह)  
विशेष सचिव।